मध्य प्रदेश राज्य वन नीति, 2005

3.14 जैव विविधता संरक्षण

3.14.1 जैव विविधता समृद्ध स्थलों की पहचान कर उन्हें जैव विविधता धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध कर विकसित किया जायेगा।

3.14.2 प्रदेश के समस्त वन क्षेत्रों एवं वन क्षेत्रों के बाहर (सार्वजनिक क्षेत्रों एवं निजी क्षेत्रों में) विद्यमान जैव विविधता का 'जैव विविधता अधिनियम 2002' के प्रावधानों के अनुसार संरक्षण किया जायेगा।

3.14.3 समस्त वन क्षेत्रों की कार्य आयोजनाओं में जैव विविधता संरक्षण को पर्याप्त महत्व दिया जायेगा।

3.14.4 शहरी क्षेत्रों में जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों की पहचान कर उनका समुचित संरक्षण एवं विकास किया जायेगा। साथ ही उपयुक्त उपलब्ध क्षेत्रों में बॉटैनिकल गार्डन एवं जूलॉजिकल पाक्र स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा।

3.14.5 जैव विविधता संरक्षण में स्थानीय समुदायों की महत्वपूर्ण भ ूमिका के दृष्टिगत जैविक संसाधनों के ज्ञान एवं उनके संवहनीय उपयोग से होने वाले लाभों में इन समुदायों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

Madhya Pradesh State Forest Policy, 2005

3.14 Biodiversity conservation

3.14.1 Biodiversity rich sites will be identified and they will be enlisted and developed as 'Biodiversity Heritage Sites'.

3.14.2 Bio-diversity existing within and outside the forest areas (in public and private areas) shall be conserved as per the provisions of the 'Bio-diversity Act, 2002'.

3.14.3 Conservation of bio-diversity shall be accorded sufficient importance in the working plans of all the forest areas.

3.14.4 Bio-diversity abundant sites in the urban areas shall be identified, properly conserved and developed. Besides, efforts shall be made to set up botanical gardens and zoological parks in the available suitable areas.

3.14.5 In view of the significant role of the local communities in the conservation of bio-diversity, appropriate share of such communities shall be ensured in the benefits accruing from the knowledge about the bio-resources and their sustainable use.